पक्षकार – छ0ग0 शासन वि0 बप्पी शाव प्र0 क्र0 95/19

Witness No. 01 For अभियोजन साक्षी 01 Deposition taken the 04/06/2018 day of. मंगलवार witness's apparent age 26 वर्ष States on affirmation शपथपूर्वक my name is.. डिगेन्द्र साहू पिता सेवाराम साहू occupation ड्रायवर address ग्राम बाना थाना खरोरा जिला रायपुर छ0ग0

<u>मुख्य परीक्षण द्वारा श्री रणवीर सिंग भामरा, एजीपी वास्ते अभियोजन</u>

1– मै आरोपी बप्पी शाह को जानता हू। मै थाना खरोरा क्षेत्र से संचालित 112 टाइगर टू ईवीआर वेन में ड्रायवर के पद पर कार्यरत् हू।

2– मै आहत विष्णु प्रसाद वर्मा को जानता हू, थाना खरोरा क्षेत्र से संचालित 112 टाइगर टू अंतर्गत पुलिस स्टाफ है। घटना लगभग 9–10 महिने वर्ष 2018 के सुबह लगभग 8:30 बजे की है। आरोपी बप्पी शाह आम रोड रास्ते में गाली गुप्तार करते हुए आ रहा था। स्टाफ वाले बप्पी शाह को बोले कि तुम क्यो गाली गलौच कर रहे हो, तो मना करने पर बप्पी शाह विष्णु प्रसाद वर्मा से गाली गलौच करने लगा कौन पुलिस वाला यहां ड्यूटी लगाता है गाली गलौच करते हुए मॉ बहन की गंदी गंदी गलिया देने लगा। विष्णु प्रसाद वर्मा द्वारा मना करने पर वहां पर रखे पेप्सी के बॉटल को आरोपी बप्पी शाह ने विष्णु प्रसाद वर्मा के सिर पर मार दिया जिससे विष्णु प्रसाद वर्मा के सिर से खून निकल रहा था।

3– मैने बीच बचाव किया तो आरोपी बप्पी शाह वहां से फरार हो गया। घटना को आस पास के लोगो ने देखा व सुना है कि मै आहत विष्णु प्रसाद वर्मा को आरक्षक अपने साथ लेकर अस्पताल गये थे। उक्त घटना की सूचना पुलिस अधिकारी एवं थाना को दिया था। पुलिस वाले इस संबंध में मुझसे पूछताछ कर मेरा बयान दर्ज किए थे।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री बी0के0सैनी अधिवक्ता वास्ते आरोपी</u>

4– यह कहना सही है कि मै पुलिस विभाग में नौकरी नहीं करता हू। मुझे अलग से गाडी चालने हेतु ड्रायवर रखा गया है। मै नहीं बता सकता कि आरोपी बप्पी शाह आम रास्ते में किसके साथ गाली गुप्तार कर रहा था। आम रास्ते में

किसको गाली दे रहा था इस संबंध में आरक्षक विष्णु एवं गिरधर पूछताछ किया गया था इसकी मुझे जानकारी नहीं है मै गाडी के ड्रायवर सीट पर बैठा था।

5— यह कहना सही है कि आहत विष्णु प्रसाद एवं गिरधर आरोपी से पैसे की मांग कर रहे थे या नहीं मुझे जानकारी नहीं है। यह कहना गलत है कि आरक्षक विष्णु प्रसाद के द्वारा आरोपी बप्पी शाह से पैसो की मांग करते हुए आरोपी द्वारा विरोध कर पैसे देने से मना किया गया था जिसके कारण धक्का मुक्की में विष्णु प्रसाद गिर गया था तथा उसे चोट आई थी।

6— यह कहना सही है कि मै खुद ड्रायवर हू इसलिए मुझे गवाह बनने के लिए बोला गया था। यह कहना गलत है कि मुझे और भी प्रकरण में गवाह बनाया गया है। स्वतः कहा कि घटना को मैने देखा हू। यह कहना सही है कि मै ड्रायवर के सीट पर बैठा हुआ था, आरोपी का किस बात को लेकर विवाद हुआ था मुझे जानकारी नहीं है।

7— जब विवाद हो रहा था तब मै घटना स्थल के पास ही था। यह कहना सही है कि मेरे बयान प्रदर्श डी—1 में क्या क्या बाते लिखी है पुलिस ने मुझे पढकर नहीं बताया था।

वाचित स्वीकृत

(चन्द्र कुमार कश्यप)
प्रथम अति.सत्र न्यायाधीश के
चतुर्थ अति. न्यायाधीश रायपुर छ.ग.

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

(चन्द्र कुमार कश्यप)
प्रथम अति.सत्र न्यायाधीश के
चतुर्थ अति. न्यायाधीश रायपुर छ.ग.

गवाह के हस्ताक्षर— .....